

# **Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme**



**Serving Children of 0-6 years and Pregnant & Lactating Mothers**

**Supplementary Nutrition**

**Immunization**

**Pre-School Education**

**Health Check-ups**

**Health & Nutrition Education**

**Referral Services**



**A PRESENTATION BY:**

**DR. ANITA JOSHI**

**CDPO, DEPALPUR RURAL-2, INDORE**

• आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।

• **ICDS का उद्देश्य:**

• 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।

• बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।

• मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।

• बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

• माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना।

• किशोर लड़कियों (AGS) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

# ICDS के तहत योजनाएँ

## आंगनवाड़ी सेवा:

- यह बचपन की देखभाल और विकास के लिये एक अनूठा कार्यक्रम है।
- इस योजना के लाभार्थी 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।
- यह छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं शामिल हैं।
- पूरक पोषण में टेक होम राशन ( TAKE HOME RATION- THR), गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिये इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है।

## राष्ट्रीय पोषण रणनीति:

- रणनीति का उद्देश्य सबसे कमजोर और महत्वपूर्ण आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है।
- इसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना भी है।
- इसे नीति आयोग ने जारी किया है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:**

- PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किशतों में 5,000 रुपए दिये जाते हैं और शेष 1000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं।

- **किशोरियों के लिये योजना:**

- इसका उद्देश्य 11-14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है।
- इस योजना में पोषक और गैर-पोषक तत्व शामिल हैं जो इस प्रकार हैं; लौह तथा फोलिक एसिड पूरकता; स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवा; स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- **पोषण अभियान:**

- इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण, एनीमिया को कम करके, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है।

A large white circle is centered on a gray background. The background is decorated with several white, stylized bubbles of various sizes and shapes, some with highlights, scattered around the circle. The text "THANK YOU!" is centered within the white circle.

**THANK YOU!**